(142)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश कैम्प सागर

Rev 28- I-17

1. ऑल इण्डिया रेडियो (ब्रॉडकॉस्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया)
2. कलेक्टर, सागर
3. अनुविभागीय अधिकारी, सागर
4. तहसीलदार, सागर

पिटीशनर

विरुद्ध

1. सीताराम वल्द भगवान सिंह पटैल
2. खान्जू बल्द फदालीराम पटैल — तीनों निवासी ग्राम तिली माफी, तहसील व जिला सागर (म.प्र.)
3. जनकी प्रसाद वल्द परमानंद पटैल

अनावेदकगण

रिव्यू आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 रिव्यू पिटीशन एम.पी. एल.आर.सी.

आवेदक गण नीचे लिखे अनुसार प्रार्थना करते हैं :

1. यह कि आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन क्र. 18876/2016 प्रस्तुत की गई थी, पिटीशन स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.12.2016 में यह निर्देश दिया है कि आवेदक ऑल इण्डिया रेडियो, सागर न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश के न्यायालय में राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक : 23.09.2016 के अन्तर्गत रिव्यू पिटीशन राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करें। इसी परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा यह रिव्यू पिटीशन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। प्रकरण के तथ्य नीचे लिखे अनुसार है :

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक पुनर्विलोकन –28–एक/17 जिला–सागर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–06–17	आवेदकगण शासन के पैनल अधिवक्तागण श्री राजेश त्रिवेदी एवं श्री बी0 एन0 त्यागी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्तागण ने यह रिव्यु प्रकरण न्यायालय राजस्व मण्डल के प्रकरण कमांक निगरानी 3234–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2–प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण ने कलेक्टर जिला सागर के समक्ष म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने स्वत्व की भूमि स्थित ग्राम तिली खसरा न0 217/10, 217/11, 217/9, 217/3 पर आने जाने के मार्ग के लिये म0प्र0 शासन चरोखर मद की भूमि खसरा न0 218 रकवा 1.259 हैक्टर के अंश भाग 0.045 है0 भूमि अर्थात 4843 वर्गफुट भूमि जो कि शासन द्वारा आम रास्ता के लिये छोड़ी गयी है को अभिलेख में आम रास्ता दर्ज किया जावें । आवेदकगण के आवेदन को कलेक्टर जिला सागर द्वारा जांच कर प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार सागर को प्रेषित किया, तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपना सहमति प्रतिवेदन सहपत्रों सहित आदेश किये जाने हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी सागर को सप्रेषित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 30.6.16 में सहमति प्रदान न करते हुये प्रकरण अपर कलेक्टर जिला सागर को प्रेषित किया गया, जिस पर से अपर कलेक्टर	

जिला सागर द्वारा प्रकरण 602/बी–121/2015–16 पर दर्ज करते हुये अनुविभागीय अधिकारी सागर के प्रतिवेदन से सहमत होकर आवेदकगण का आवेदन पत्र आदेश दिनांक 5.8.2016 को निरस्त किया गया, जिससे दुखित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 23.9.2016 को स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर आवेदक ऑल इण्डिया रेडियो (बॉडकोंस्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिट पिटीशन कमांक 18876/2016 प्रस्तुत की गई थी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया है कि आवेदक ऑल इण्डिया रेडियो (बॉडकोंस्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया) सागर राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 23.9.2016 के विरूद्व रिव्यु आवेदन पत्र न्यायालय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जावे, इसी तारतम्य में यह रिव्यु आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

3–आवेदकगण शासन की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश त्रिवेदी द्वारा तर्क दिया गया है कि म0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 12.4.1988 द्वारा आवेदक कमांक–1 आकाशवाडी सागर को खसरा न0 218 में से 3 एकड़ यानी 1.259 है0 स्थित पटवारी हल्का न0 63 ग्राम तिली माफी में भूमि आंवटित की गई थी, तब से लगातार आवेदक कमांक –1 उस भूमि पर काबिज चले आ रहे है, परंतु अनावेदक 1, 2, 3 द्वारा आवेदक कमांक–1 की भूमि से आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि तहसीलदार सागर द्वारा राजस्व निरीक्षक ग्राम तिली माफी सागर से प्रतिवेदन चाहा गया था। राजस्व निरीक्षक ने उसमें भूमि खसरा न0 218 के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया है कि उक्त 3 एकड़ भूमि

आकाशवाणी सागर को आंवटित की गई है, परंतु अनावेदकगण द्वारा अपीलीय न्यायालयों में आवेदक कमांक–1 को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया जबकि आकाशवाडी सागर इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे इसलिये अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किया जाना चाहिये था क्यो कि निरगानी में कानूनी रूप से कुसंयोजन का बिन्दु था इसलिये इस न्यायालय का आदेश दिनांक 23.9.2016 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि खसरा न0 218 के राजस्व प्रलेखों में कहीं भी आम रास्ता दर्ज नहीं है फिर भी न्यायालय द्वारा अनावेदकगणों के पक्ष में आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदकगण के अधिवक्तागण श्री दिलीप पासी, एवं श्री श्रीकांत खत्री द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में लेख किया गया है कि अनावेदकगण द्वारा कलेक्टर सागर के समक्ष म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 131 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनावेदकगण की भूमि स्वामी हक की भूमि स्थित ग्राम तिली खसरा कमांक 217/10, 217/11, 217/9, 217/3 है, उक्त भूमि से आने जाने के मार्ग के लिये म0प्र0 शासन चरोखर मद की भूमि खसरा नमबर 218 रकवा 1.259 है0 के अंश भाग 0.045 है0 भूमि अर्थात 4843 वर्गफुट भूमि पर जो कि शासन द्वारा आम रास्ता के लिये छोड़ी गयी है को अभिलेख में आम रास्ता दर्ज किया जाने का अनुरोध किया गया है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार महोदय से प्रकरण प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन

दिनांक 30.6.2016 में अपनी सहमति प्रदान न करते हुये प्रकरण अपर कलेक्टर महोदय जिला सागर को प्रेषित किया गया, जिस पर से अपर कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण कमांक 602/बी–121/2015–16 पर दर्ज करते हुये आवेदकगण को सुने बिना अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होकर अनावेदकगण को आवेदन पत्र अपने आदेश दिनांक 5.8.2016 पारित कर खारिज किया गया। अनावेदक अधिवक्तागण द्वारा यह भी बताया गया है कि पुनरावलोकन आवेदन के पैरा कमांक–1 में दिये गये कथन पूर्णतः असत्य है क्यों कि पुनरावलोकन का आवेदन केवल आवेदक कमांक–1 द्वारा प्रस्तुत किया जाना था जबकि जानबूझकर मात्र न्याय को विफल करने के उददेश्य से माननीय उच्च न्यायालय में बनाये गये पक्षकार प्रति याचिकाकर्ता कमंक 2 एवं 3 व तहसीलदार को अनावश्यक रूप से आवेदकगण के रूप में संयोजित कर यह पुर्नावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया है जो प्रचलन योग्य न होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि पुनरोवलोकन तथ्यहीन होने से निरस्त किया जावे तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.9.16 स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा अपने रिव्यु आवेदन में उल्लेख किये गये है। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि खसरा न0 218 रकवा 1.259 है0 कमांक 692/97 सागर/नजूल/भोपाल एवं कलेक्टर सागर द्वारा 3.00 एकड़ भूमि अन्य विभागों को आवंटित की है। शेष 0.045 है0 भूमि

अर्थात 4845 वर्गफुट भूमि शेष बचती है जिसका आवेदकगण एवं कृषकों द्वारा आम रास्ता के रूप में उपयोग किया जाता है जिसके संबंध में अनावेदकगण ने इस न्यायालय में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है, इससे स्पष्ट होता है कि राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.9.2016 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदकगण ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधरों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से रिव्यु प्रकरण अग्राह किया जाता है तथा राजस्व मण्डल ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 3234–एक/16 में पारित आदेश दिनांक 23.9.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। उभयपक्ष सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सदस्य